भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1372

12 फरवरी, 2021 के लिए प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लाभार्थियों का निष्कासन

1372 श्री संजय सिंहः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुराने हो चुके जनगणना और बायोमेट्रिक पहचान त्रुटि के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लाभार्थियों को निष्कासित करने के मामले उजागार हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन लाभार्थियों को शामिल करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) से (ग): जी नहीं। विशेष प्रयोजनार्थ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम - जीकेएवाई) के अधीन इस विभाग द्वारा अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 माह के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन कवर किए गए लगभग सभी 80 करोड़ लाभार्थियों को वितरण हेतु एनएफएसए के तहत उनकी नियमित पात्रता के अलावा निःशुल्क अतिरिक्त खाद्यान्नों का आवंटन किया गया था। इसके अलावा, यह उल्लेख किया जाता है कि देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लगभग 81.34 करोड़ लाभार्थियों के अधिकतम कवरेज का प्रावधान है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कवर किए गए सभी लाभार्थियों को दिया गया था।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि सभी राशन कार्डों के साथ आधार नंबर जोड़ने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई समय सीमा दिनांक 31.03.2021 तक बढ़ा दी गई है।

*****